



जनपद हमीरपुर

थाना मौदहा

दिनांक 21.10.2026

थाना मौदहा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 339/2026, धारा 109(1)/191(2)/191(3)/115(2)/352/351(3) बीएनएस फायरिंग की घटना से संबंधित वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

घटना का विवरण

अवगत कराना है कि दिनांक 18.10.2026 को थाना मौदहा पुलिस को ग्राम परछा में फायरिंग की घटना की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जिसमें दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से रंजिश होने की बात प्रकाश में आई। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं थी। पीड़ित पक्ष से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मौदहा पर मु0अ0सं0 339/2026, धारा 109(1)/191(2)/191(3)/115(2)/352/351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही थी।

पुलिस कार्यवाही-

आज दिनांक 21.10.2026 को थाना मौदहा पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सद्दाम पुत्र सुम्मा, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी ग्राम परछा, थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर को परछा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के संबंध में कोई वैध प्रपत्र प्रस्तुत न किए जाने पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सद्दाम पुत्र सुम्मा, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी ग्राम परछा, थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण-

एक अदद तमंचा .315 बोर।

एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 वरुण कुमार
2. का0 विजय प्रताप
3. का0 अमित कुमार

